

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

श्री बापुलाल विपक्षी भवंबर कुंवर
 मुकदमा नं. 53,188 P.T. 1st पत्रावली संख्या 174/24 सन 2024

क्र.सं.	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p><u>11/9/24</u> पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रति./विपक्षी/रेसपो. को जरिये सम्मन/ नोटिस तलब किये जाकर पत्रावली बाद तलबी दि. <u>23/9/24</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	
	<p><u>23/9/24</u> आज दिनांक की बार एसोसियेशन मावली ने कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक.... <u>25/11/24</u> को पेश हो।</p>	
	<p><u>25/11/24</u> पत्रावली पेश दु. वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में नं. <u>14/2/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">B/o 2</p>	
	<p><u>14/2/25</u> आज दिनांक की बार एसोसियेशन मावली ने कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक.... <u>21/4/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">B/o 2</p>	
	<p><u>21/4/25</u> पत्रावली पेश हुई। अधि. वारी उप.। प्र.स.। के समक्ष पूर्व में बाद तलबी अर्थात् निरस्त आवाजे दिलवाई गई। न्याय प्रणाली व हे। अतः उ. उ. प्र. प्र. रक्षक पर इसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अर्थात् नें लाइपानी है। पत्रावली वास्तु सहायवादी दिनांक <u>11/01/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> </p>	



16/12/25
अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी उप-
के सिबे मौका चाहते हैं। अतः
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि-
को पेश हो।
21/8/2025
9/7/25
M
(SDO) कवली

09/7/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पत्रकारान उप।
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार कर/सोक समा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने, अधिकारी जी आज अवकाश/
ग्रहण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व अद्वेस
के क्रम में दिनांक 11/7/25 को पेश हो।

11/7/25

11/7/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मध्य
वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण मध्य
वादीगण को बार-बार आवाजे दिलवाई गई।
समय साँच 5:00 PM हो चुके हैं। पत्रावली
दिनांक 21/4/25 से साक्ष्य वादी में लम्बित हैं।
अधिवक्ता वादीगण मध्य वादीगण को पर्याप्त
अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य वादी शपथ
पत्र पेश नहीं किये। आज भी वादीगण एवं
उनके अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। वादीगण को
लगातार निर्देशित करने पर भी साक्ष्य वादी
पेश नहीं करने से स्पष्ट जाहिर होता है कि
वादीगण अपने वाद के प्रति सजग नहीं हैं।
अतः अधिवक्ता वादीगण मध्य वादीगण अनुपस्थित
रहने पर वादीगण का वाद अस्म हाजरी अस्म
पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल कुमार लेकर नम्बर से कम हो।
निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



अधिवक्ता कलक्टर
(SDO) कवली